संख्या- 75/2015/682/71-1-2015-जी-412/2013

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 29 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2015/574, दिनॉक 27-03-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-69/2015/659/71-1-2015-जी-412/2013, दिनॉक 27-03-2015 में त्रुटिवश स्वीकृत धनराशि "रू0 3,62,12,000/- (रू0 तीन करोड़ बासठ लाख बारह हजार मात्र)" का उल्लेख हो गया है। अत: उक्त के स्थान पर "रू0 3,37,15,000/- (रू0 तीन करोड़ सैतीस लाख पन्द्रह हजार मात्र)" पढ़ा जाए।

2- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-69/2015/659/71-1-2015-जी-412/2013, दिनॉक 27-03-2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते यथावत् रहेगी। भवदीय

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव

संख्या:- 75/2015/682(1)/71-1-2015 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल। आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।